



मुरलीधर बनाम भागली देवी

मु००० - ५२१/२०१७

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही गव लघुहस्ताक्षर जज

मुरलीधर बनाम भागली देवी वगै०

प्रार्थना पत्र अस्थाई निवेद्याज्ञा

मुकदमा नं० १८/२०१२

बी०टी० नम्बर ४२१/२०१७

कोई औचित्य नहीं है। अतः पत्रावली फैसल  
शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल  
दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक  
१२.०५.२०१८ को न्याय आपके द्वार अभियान-  
२०१८ के तहत आयोजित राजस्व लोक  
अदालत के कैम्प थोई के मजमे-ए-आम में  
सुनाया गया।

gm-

(ब्रह्म लाल जाट)

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)

श्रीमाधोपुर (सीकर)

कैम्प:-थोई